कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक :— 01/यो0ब0—43/2015(खण्ड—1)— 846

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँची/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला।

दिनांक :—22/06/2016

विषय :— **वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जाने वाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये मात्र की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि का ऑन—लाईन उप आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग :— वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट—68/2015—46 व0प0 दिनांक 19.11.2015 एवं आ0आ0संख्या—4/यो0बजट—68/2015—09 अ0व0प0 दिनांक 22.04.2016 एवं संख्या— 4/यो0बजट—68/2015—44 आ0 व0प0 दिनांक—10.06.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016—17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (कुसमी लाह उत्पादन हेतु कृषकों को संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत लाह कृषकों द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से) का चालू कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये** मात्र राशि का ऑन—लाईन उप आवंटन उपर्युक्त वर्णित वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट—68/2015—46 व0प0 दिनांक—19.11.2015 एवं आ0आ0संख्या—4/यो0बजट—68/2015—09 अ0व0प0 दिनांक—22.04.2016 एवं संख्या— 4/यो0बजट—68/2015—44 आ0 व0प0 दिनांक—10.06.2016 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :—

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख में)
1	2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना	मजदूरी	19P240601796090103	31.953
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601796090323	20.504
		प्रशिक्षण व्यय	19P240601796090335	1.024
कुल आवंटित राशि				**53.481**

अर्थात् कुल **53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये** मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि **53.481 लाख (तिरपन लाख अड़तालीस हजार एक सौ) रुपये** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली "लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406– वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–09–लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक–1 में अंकित विवरणी के अनुरुप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिला के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा वन संरक्षक एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन की सफलता हेतु सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुश्रवण प्रतिवेदन नियमित रुप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को अभिलेख हेतु उपलब्ध करायेंगे।

7. योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुकों/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन करते समय वन प्रमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन लाभुको/संयुक्त वन प्रबंधन के स्वयं सहायता समूह का चयन उनके द्वारा किया जाएगा वो लाह की खेती हेतु प्रोत्साहन की वन

विभाग/अन्य किसी विभाग/सरकारी एजेंसी द्वारा संचालित योजना से पूर्व में आच्छादित/लाभान्वित नहीं रहे है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांकः 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त की जायेगी।

9. राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा कोषागार संहिता के नियम सं0 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. लाह उत्पादन एवं अन्य कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित तत्कालीन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या–2371 दिनांक–05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

22 योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूणरुपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।

23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रुप से को–ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।

25 संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–1, कार्य दर अनुलग्नक–2 एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 29/8/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\TSP\MFP\MFP (2nd Year)

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

20. वन प्रमंडलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं विभागीय कार्य दरों पर तैयार किया जाएगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी।

21. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

22 योजनाओं में उत्पादित लाह पर पूणर्रुपेण ग्राम वन प्रबंधन समिति का यूनिट (इकाई) के व्यक्ति का अधिकार होगा।

23. योजना में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे। विशेष रुप से को–ऑपरेटिव विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना में लाभार्थियों को इस योजना का लाभ भी न लेंगे।

25 संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का व्यय विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

26. इस योजना के अन्तर्गत किये गये प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–1, कार्य दर अनुलग्नक–2 एवं ऑन–लाईन उप आवंटन अनुलग्नक–3 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–01/यो0ब0–43/2015(खण्ड–1)– **846** राँची, दिनांक :– **22.06.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

D:\2016-17\Sub-Allotment 2016-17\TSP\MFP\MFP (2nd Year)

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–43/2015(खण्ड–1)– 846** राँची, दिनांक :– **22.06.2016**

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :–**01/यो0ब0–43/2015(खण्ड–1)– 846** राँची, दिनांक :– **22.06.2016**

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, खूँटी/कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/कोषागार पदाधिकारी, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक– 1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली ''लघु वन पदार्थ का उन्नयन'' योजना (जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत कुसमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का द्वितीय वर्ष का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार (मजदूरी दर रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2016–17			
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	प्रशिक्षण	कुल
				7.801	**5.006**	**0.250**	**13.057**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**	**vii**	**viii**
1	खूँटी वन प्रमंडल,	125	12500	7.801	5.006	0.250	13.057
2	सिमडेगा वन प्रमंडल,	250	25000	15.602	10.012	0.500	26.114
3	गुमला वन प्रमंडल,	137	13700	8.550	5.486	0.274	14.310
योग :–		**512**	**51200**	**31.953**	**20.504**	**1.024**	**53.481**

22.4.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

कुसुमी लाह उत्पादन हेतु दर तालिका

कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना (तीन वर्षीय) की कार्य दर

लाह–पोषक प्रजाति कुसुम के वृक्षों की संख्या–12500 प्रति वन प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार, मजदूरी दर – रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					द्वितीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					तृतीय वर्ष मजदूरी प्रति मानव दिवस 221.61					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षो का चिह्नांकन	रू0 2.65 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 कुसुम के वृक्षों का चिन्हांकन किया जाएगा जिसे तीन सेट में बाँटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थियों द्वारा पूर्व से ही कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों (4 वृक्ष प्रति परिवार) की कटाई छटाई की जाएगी।
1	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक–एक सदस्य को समूहों में IINRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रू0 प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक–एक शिक्षित सदस्य /प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रू0 प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, नामकुम, राँची (IINRG) के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
3	टूलकीट एवं अन्य सामग्री	रू0 1775/– प्रति टूलकीट; 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष में सेट–1 के लाभार्थी द्वारा कटाई छटाई किए गए 3750 (3 वृक्ष प्रति परिवार) उपलब्ध वृक्षों पर जनवरी/फरवरी माह में बीहन लाह का संचारण किया जाएगा एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों की कटाई छटाई की जाएगी। द्वितीय वर्ष में सेट–3 के 3750 वृक्षों की कटाई छटाई एवं सेट–2 के 5000 वृक्षों पर बीहन लाह का संचारण किया जाएगा। तृतीय वर्ष में सेट –[illegible] के 3750
4	वृक्षों की कटाई–छँटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662					0.000	3.878	
5	बीहन लाह का क्रय	4 कि0 ग्राम प्रति वृक्ष, रू0 200 प्रति कि0ग्रा0	3750 वृक्ष		30.000		30.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 5000 वृक्ष				0.000	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 3750 वृक्ष				0.000	30.000	
6	संचारण व्यय	1 मा0 दि0 प्रति 5 वृक्ष	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5000 वृक्ष	2.216			2.216	3750 वृक्ष	1.662			1.662	5.540	
7	फसल संरक्षण पर व्यय	60 रू0 प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)	3750 वृक्ष		2.250		2.250	5000 वृक्ष		3.000		3.000	3750 वृक्ष		2.250		2.250	7.500	
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (गटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 6000रू0			7.500		7.500					0.000					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्केपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष	3750 वृक्ष	0.332			0.332	5000 वृक्ष	0.443			0.443	3750 वृक्ष	0.332			0.332	1.108	
10	तकनिकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक@ Rs. 5000/ पर्यवेक्षक/माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000रू0 प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल			*6.282*	*43.719*	*0.510*	*50.512*		*7.801*	*4.750*	*0.250*	*12.801*		*5.474*	*4.000*	*0.250*	*9.724*	*73.037*	
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (Inclunding MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)				1.010		1.010			0.256		0.256			0.194		0.194	1.461	
	सकल योग			6.282	44.729	0.510	51.522		7.801	5.006	0.250	13.057		5.474	4.194	0.250	9.919	74.497	

27/6/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वितीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/846 **दिनांक -** 22-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39169	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	780,100.00 रुपये सात लाख अस्सी हजार एक सौ
2	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39170	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,560,200.00 रुपये पंद्रह लाख साहठ हजार दो सौ
3	P 19 240601796090103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	39171	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	855,000.00 रुपये आठ लाख पचपन हजार

योग: 3,195,300.00

क्रमिक योग: रुपये इकतीस लाख पिनचानवे हजार तीन सौ

22/6/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 22/6/2016

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/846 दिनांक - 22-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39174	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	500,600.00 रुपये पॉच लाख छः सै
5	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39175	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,001,200.00 रुपये दस लाख एक हजार दो सै
6	P 19 240601796090323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	39176	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	548,600.00 रुपये पॉच लाख अडतालीस हजार छः सै
7	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39177	RNCFORK01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	25,000.00 रुपये पच्चीस हजा

योग: 2,075,400.00

क्रमिक योग: रुपये बावन लाख सत्तर हजार सात सौ 5,270,700.00

22/6/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 Run Date: 22/6/2016

पत्र संख्या - 01/yb-43/2015/846 दिनांक - 22-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39178	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	50,000.00 रुपये पचास हजार
9	P 19 240601796090335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 09 - लघु वन पदार्थों का उन्नयन 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय	39179	GMLFOR001 AJIT KUMAR SINGH D.F.O. GUMLA	27,400.00 रुपये सत्ताइस हजार चार सौ

योग: 77,400.00

क्रमिक योग: रुपये तीरपन लाख अडतालीस हजार एक सौ 5,348,100.00

22/6/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 22/6/2016